न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी –सुनील कुमार I आर.ए.एस.)

अपील संख्याः–2024/13 दर्ज तिथिः–23.02.2024

वादी		प्रतिवादी
भगवानाराम	बनाम	ग्राम पंचायत सहनाली
जरिये अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार राजपुरोहित		जरिये अधिवक्ता श्री हीरलाल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–09 नियम–09
सिविल प्रक्रिया संहिता–1908
निर्णय तिथिः–17.12.2025

–:निर्णयः–

आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 अन्तर्गत धारा 75 प्रार्थना–पत्र संख्या 543/2016 अनुवान भगवानाराम बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 25.01.2024 को प्रार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 के तहत हाजा न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रिस्टोर किये जाने निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार हैः–

- उपरोक्त अनुवानी प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अपील अदालतवाला में इंतकाल के विरूद्ध प्रस्तुत की थी जो वास्ते प्राप्त होने रिकॉर्ड जैरकार अदालती थी व अपील संख्या 543/16 अनुवानी भगवानारम बनाम ग्राम पंचायत सहनाली ता. पेशी 25.01.2024 जो अदालतवाला न्यायालय में जैरकार थी।
- दिनांक 25.01.2024 को तारीख के दिन अधिवक्ता अपीलान्ट अन्य अदालत में व्यस्त होने के कारण व प्रार्थी बीमार होने के कारण तारीख पेशी पर आवाज पर हाजिर नहीं आ सकने के कारण अदालतवाला द्वारा प्रकरण गैर हाजरी में खारिज फरमा दिया गया।
- प्रकरण में गैर हाजरी प्रार्थी द्वारा जानबूझ कर नही की गई है बल्कि बवजह मजबुरी रही है। प्रकरण को न्यायहित में पुनः वामवा पर नही लिए जाने से प्रार्थी न्याय से महरूम रह जायेगा। व प्रार्थी के साथ न्याय नही होगा।
- प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश है तथा प्रार्थी के द्वारा अगले दिन आकर पता करने पर आदेश अदालतवाला का ज्ञान होने पर मियाद में प्रार्थना–पत्र पेश होना तथा अन्य तथ्य वर वक्त बहस पेश कर दिये जावेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:21 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील संख्या 543 / 16 अनुवानी भगवानाराम बनाम ग्राम पंचायत सहनाली तारीख पेशी आदेश दिनांक 25.01.2024 को पुनः वाजबे पर लिए जाने की कृपा करावें।

- प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि
- प्रार्थना पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित तथ्य स्वीकार है।
- प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित कथन में अपीलान्ट का अधिवक्ता अन्य अदालत में व्यस्त होना बताया है लेकिन स्पष्ट तौर पर यह नही बताया कि कौनसे न्यायालय में कितने समय तक व्यस्त था। अधिवक्ता के साथ अन्य अधिवक्ता भी अपीलान्ट की पैरवी करते है। साथ ही अपीलान्ट द्वारा बीमार होने का कथन किया है लेकिन अपीलान्ट द्वारा बीमारी का कोई प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलान्ट द्वारा यह भी नही बताया गया कि बीमार किस दिन से कितने दिन तक था। इसलिए प्रार्थी के अधिवक्ता व प्रार्थी द्वारा कोई उचित कारण नही बता पाये कि न्यायालय विश्वास कर सके। इसलिए यह प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।
- प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 सही नहीं होने से अस्वीकार की जाती है। माननीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व अपीलान्ट के अधिवक्ता को बार बार आवाजें दिलवाई गई लेकिन अपीलान्ट का काई भी अधिवक्ता उपस्थित नही आया ना ही अपीलान्ट हाजिर हुआ तब जाकर एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया । कानूनन यह प्रार्थना पत्र एकतरफा कार्यवाही के आदेश के 30 दिन में देना चाहिये था दिनांक 25.01.2024 के एकतरफा कार्यवाही के आदेश की जानकारी अगले दिन किस आधार पर हुई ऐसा कहीं नहीं बताया जबकि उसी दिन जानकारी करनी चाहिये थी। तारीख पेशी अपीलान्ट व अपीलान्ट के अधिवक्ता उसी दिन होना स्वीकार करते है।
- अपीलान्ट द्वारा सन् 1986 के आदेश की पालना चाही है जो कानूनन नहीं करवाई जा सकती क्योंकि किसी भी आदेश की पालना व इजराय हेतु मियाद 12 वर्ष निर्धारित है सन् 1986 का आदेश भी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बगैर किया गया है। सन् 2015 से यह अपील विचाराधीन चल रही है। दिनांक 09.05.2016 को न्याय आपके द्वार कैम्प में रखी जाती रही है। लेकिन अपीलान्ट उपस्थित नहीं होता है। पत्रावली वास्ते बहस में काफी समय से चल रही है लेकिन अपीलान्ट न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा है। दिनांक 25.01.2024 को भी न्यायालय में बार–बार आवाजें लगाई गई ना तो अधिवक्ता उपस्थित आया ना ही अपीलान्ट उपस्थित आया जबकि इस पत्रावली में कई अधिवक्ता अपीलान्ट ने बना रखे है। इसलिए अपीलान्ट की अपील में काई रूचि नहीं है केवल न्यायालय का समय बर्बाद करने व रेस्पोडेन्टान को परेशान करने की नियत से यह अपील चला रखी है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट / प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जावे। श्रीमान् जी की बड़ी कृपा होगी

- जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली में बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से कथन किया गया प्रार्थी अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण पत्रावली में नियत तारीख पेशी को न्याय[illegible] में उपस्थित नहीं हो पाया व प्रार्थी भी बीमार होने के कारण न्या[illegible] जिस कारण दिनांक 25.01.24 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:21 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित नहीं हो सका। जिसके कारण प्रार्थना—पत्र खारिज कर दिया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता प्रार्थना—पत्र की सुनवाई के वक्त अनुपस्थिति ऊपर वर्णित कारण व परिस्थितियों में हुई थी प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता जानबूझ कर अनुपस्थित नहीं रहे थे। अतः प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी पी सी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 अन्तर्गत धारा 75 प्रार्थना—पत्र संख्या 543/2016 अनुवान भगवानाराम बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 25.01.2024 जो अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज फरमाये जाने का जो आदेश पारित किया गया है को निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण पुनः वाजबे नम्बर पर लिए जाने का व आगामी कार्यवाही किए जाने का आदेश फरमावें। न्यायहित में पत्रावली रिस्टोर करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी अधिकवक्ता ने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा सन् 1986 के आदेश की पालना चाही है जो कानूनन नहीं करवाई जा सकती क्योंकि किसी भी आदेश की पालना व इजराय हेतु मियाद 12 वर्ष निर्धारित है सन् 1986 का आदेश भी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बगैर किया गया है। सन् 2015 से यह अपील विचाराधीन चल रही है। दिनांक 09.05.2016 को न्याय आपके द्वार कैम्प में रखी जाती रही है। लेकिन अपीलान्ट उपस्थित नहीं होता है। पत्रावली वास्ते बहस में काफी समय से चल रही है लेकिन अपीलान्ट न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा है। दिनांक 25.01.2024 को भी न्यायालय में बार—बार आवाजें लगाई गई ना तो अधिवक्ता उपस्थित आया ना ही अपीलान्ट उपस्थित आया जबकि इस पत्रावली में कई अधिवक्ता अपीलान्ट ने बना रखे है। इसलिए अपीलान्ट की अपील में काई रूचि नहीं है केवल न्यायालय का समय बर्बाद करने व रेस्पोडेन्टान को परेशान करने की नियत से यह अपील चला रखी है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जावे।

- प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपील संख्या 543/2016 (भगवानाराम बनाम ग्राम पंचायत सहनाली) दिनांक 25.01.2024 को अपीलार्थी एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में, बार—बार आवाजें लगाने के बावजूद कोई उपस्थिति नहीं होने के कारण, अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई थी। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र में अनुपस्थिति का कारण यह बताया गया है कि अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त थे तथा अपीलार्थी बीमार था। किन्तु न तो यह स्पष्ट किया गया है कि अधिवक्ता किस न्यायालय में, कितने समय तक व्यस्त थे, न ही अपीलार्थी की कथित बीमारी के संबंध में कोई चिकित्सीय प्रमाण—पत्र व विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि अपीलार्थी किस अवधि में, किस दिनांक से बीमार था। अतः प्रस्तुत कारण सामान्य एवं अस्पष्ट हैं। यह भी अभिलेख से स्पष्ट है कि अपील वर्ष 2016 से लंबित है दिनांक 25.01.2024 को भी न्यायालय द्वारा बार—बार आवाजें दिलवाई गई, इसके बावजूद न तो अपीलार्थी उपस्थित हुआ और न ही उसका कोई अधिवक्ता। इससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है तथा केवल कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लंबित रखना चाहता है।
- विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. के अन्तर्गत वाद/अपील के पुनर्स्थापन हेतु "पर्याप्त कारण" का विश्वसनीय प्रमाण से होना आवश्यक है। मात्र सामान्य कथन को पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:21 IST
Reason: SelfAttested

- अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कोई पर्याप्त, विश्वसनीय एवं न्यायसंगत कारण स्थापित नहीं किया गया है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र निरस्त (खारिज) किया जाता है। फलस्वरूप, वाद संख्या 543 / 2016 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2024 यथावत् प्रभावी रहेगा।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.12.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:21 IST
Reason: SelfAttested